# न्यायालय अनमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 के तहत

वाद सं0–एम० 07/2022

दिलीप कुमार महतो बनाम कलेश्वर महतो

| तिथि | दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 03-02-2022 | प्रस्तुत वाद में धारा–107 द० प्र० सं० के तहत थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी संख्या–01/22 दिनांक 03/01/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमीन एवं घर का बंटवारा नहीं होने को लेकर विवाद है।<br><br>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।<br>अतः मैं अजय कुमार साव, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द० प्र० सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 50,000/– (पचास हजार) रू0 मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।<br><br>अभिलेख तिथि .26/02/2022 को उपस्थापित करें।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>[signature] 03/02     [signature] 03/02<br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी , ,बुण्डू।     अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू। | |

अनुसूची 14 — फारम सं० 563
Schedule-14 Form No.-563



| आदेश की क्रमांक / तिथि Order No./Date | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer | आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date |
|---|---|---|
| 12-12-2022 | उभय पक्ष हाजरी। प्रथम पक्ष की ओर से गवाही शिवराम बनर्जी हाजरी। पीठासीन दण्डाधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त। दिनांक 26-12-2022 को रखें।<br>ह०— | |
| 26-12-2022 | अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द०प्र०सं० की धारा-116(06) के अनुसार धारा-107 की अवधि छः (06) माह की होती है। इस वाद में भी वैधानिक समय सीमा छः (06) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी दोनों पक्षों में शांति बने रहने, तथा संबंधित थाना द्वारा भी निर्धारित तिथि तक में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अप्राप्त रहने की दशा में, वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। इस संबंध में संबंधित को सूचित करें।<br>26/12/22<br>कार्य० दण्डा०<br>कुन्डू। | |

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.15 15:03:45 +05:30
Location: 10.93.79.5